## हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की प्रशासकीय परिषद की दिनांक 08.11.10 को सम्पन्न हुयी 71वीं बैठक का कार्यवृत्त

**बैठक में निम्नोक्त सदस्य उपस्थिति हुये :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **माननीय श्री सदल प्रसाद**<br>अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद,<br>एच0बी0टी0आई0, कानपुर<br>एवं<br>राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)<br>प्राविधिक शिक्षा विभाग<br>उ0प्र0 शासन सचिवालय,<br>लखनऊ। | अध्यक्ष |
| 2 | **सुश्री वृन्दा सरूप**<br>उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद,<br>एच0बी0टी0आई0, कानपुर<br>एवं<br>प्रमुख सचिव,<br>प्राविधिक शिक्षा विभाग<br>उ0प्र0 शासन सचिवालय,<br>लखनऊ। | उपाध्यक्ष |
| 3 | **श्री रंजन मिश्रा**<br>उपसचिव<br>वित्त विभाग,<br>उ0प्र0 शासन सचिवालय,<br>लखनऊ। | सदस्य |
| 4 | **श्री मधुकर**<br>निदेशक,<br>प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0<br>कानपुर। | सदस्य |
| 5 | **प्रो0 कृपाशंकर**<br>मा0कुलपति<br>गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय<br>सीतापुर रोड लखनऊ। | सदस्य |
| 6 | **प्रो0 एन0एस0 गजभिये**<br>माननीय कुलपति<br>डा0 हरिशंकर गौड़ विश्वविद्यालय,<br>सागर–47003<br>मध्यप्रदेश | सदस्य |
| 7 | **डा0 जे0पी0 सैनी**<br>प्राचार्य,<br>मदन मोहन मालवीय इंजी0 कालेज,<br>गोरखपुर। | सदस्य |
| 8 | **प्रो0 एम0सी0 शुक्ला**<br>आचार्य, ओ0पी0टी0 विभाग<br>एच0बी0टी0आई0, कानपुर। | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | **श्रीमती मिनिस्ती एस0**<br>विशेष सचिव,<br>प्राविधिक शिक्षा विभाग,<br>उ0प्र0 शासन सचिवालय,<br>लखनऊ। | विशेष–आंमत्री |
| 10 | **प्रो0 आर0के0खितौलिया**<br>निदेशक,<br>एच0बी0टी0आई0, कानपुर। | सदस्य–सचिव |

**बैठक में निम्नोक्त सदस्य उपस्थिति नहीं हो सके :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **प्रो0 एस0जी0धाँडे**<br>निदेशक,<br>आई0आई0टी0, कानपुर | सदस्य |
| 2 | **प्रो0 एस0सी0 सक्सेना**<br>निदेशक,<br>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,<br>रूड़की (उत्तरांचल) | सदस्य |
| 3 | **प्रो0 योगेश सिंह**<br>स्कूल आफ इंजी0 एण्ड इन्फार्मेशन टेक0<br>गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय<br>दिल्ली। | सदस्य |
| 4 | **डा0 हरविन्दर सिंह**<br>निदेशक<br>बी0आई0ई0टी0<br>झाँसी। | सदस्य |
| 5 | **डा0 डी0 गोलदार**<br>बी0–401, जागरण अपार्टमेन्ट<br>प्लाट नं0 17, सेक्टर–22<br>द्वारिकापुरी,<br>नई दिल्ली। | सदस्य |
| 6 | **डा0 एस0एन0 सिंह**<br>इलेक्ट्रिकल इंजी0 विभाग<br>आई0आई0टी0, कानपुर। | सदस्य |
| 7 | **श्री इरशाद मिर्जा**<br>मिर्जा इण्टरनेशनल लि0<br>14/6 सिविल लाइन<br>कानपुर। | सदस्य |
| 8 | **प्रो0 आनन्द स्वरूप**<br>प्राचार्य<br>जी0एस0वी0 मेडिकल कालेज<br>कानपुर। | सदस्य |

बैठक प्रारम्भ होने के साथ ही मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा मा0 सदस्यों की उपस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी एवं निदेश दिये कि जिन नामित सदस्यों द्वारा प्रशासकीय परिषद की बैठक में भाग लेने में रूची नही ली जाती है उनको अवगत कराते हुए उनसे रूची के सम्बन्ध में उनकी सहमति/असहमति प्राप्त की जाय और जिन सदस्यों के द्वारा भविष्य में

बैठकों में भाग लेने में अरूची व्यक्त की जाती है तो उनके स्थान पर अन्य सदस्यों को नामित किये जाने की कार्यवाही की जाय। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में प्रशासकीय परिषद की बैठकों के सूचना पत्र एवं कार्यसूची सभी सदस्यों को निर्धारित समयान्तर्गत ई–मेल के माध्यम से भी प्रेषित किया जाय।

**71.01 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की प्रशासकीय परिषद की दिनांक 12.01.09 को सम्पन्न हुई 70वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।**

परिषद ने संस्थान की दिनांक 12.01.09 को सम्पन्न हुई 70वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

**71.02 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की प्रशासकीय परिषद की दिनांक 06.02.10 को सम्पन्न हुई 70वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही का विवरण।**

परिषद ने संस्थान की दिनांक 12.01.09 को सम्पन्न हुई 70वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही को संज्ञान में लिया और निम्नोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निदेशित किया।

**70.05** **वित्त समिति की दिनांक 19.01.2010 को सम्पन्न 56वीं बैठक के कार्यवृत्त पर प्रशासकीय परिषद की 70वीं बैठक में मद संख्या 70.05 में प्रस्तुत विचार बिन्दु पर निम्न आंशिक संशोधन के साथ अपना अनुमोदन किया था:**

''प्रथम चरण में चतुर्थ श्रेणी के गैर तकनीकी के पदों को तकनीकी आधार पर संस्थान स्तर पर सर्वप्रथम सूचीबद्ध किया जाय''

उपरोक्त प्रदत्त अनुमोदन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि तत्काल कार्यवाही सम्पन्न कर शासन को एक माह में सूचना उपलब्ध करायें।

**70.12** **प्रशासकीय परिषद की 70वीं बैठक में मद संख्या 70.12 के अन्तर्गत प्रस्तुत विचार बिन्दु पर निम्न निर्णय प्रदान किया गया था।**

''परिषद द्वारा उक्त के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से आई0पी0आर0 (पेटेन्ट) सम्बन्धी कार्यवाही अनुबन्ध पत्र में पूर्ण कर ली जाय।''

उपरोक्त निर्णय के कम में परिषद द्वारा प्रो0 एन0एस0 गजभिए, मा0 कुलपति, डा0 हरिशंकर गौड़ विश्वविद्यालय,सागर, मध्यप्रदेश एवं प्रो0 कृपाशंकर, मा0 कुलपति, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के दिशा–निर्देशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

70.22 **प्रशासकीय परिषद की 70वीं बैठक में मद संख्या 70.22 में संस्थान के अधिवक्ता श्री एस0एम0 दयाल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सम्बन्ध में सुविचारित आख्या के सम्बन्ध में निम्नोक्त निर्णय प्रदान किया था:**

" परिषद ने उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्थान वादों हेतु नये उच्च स्तरीय अधिवक्ता को उनके शुल्क के अनुसार आबद्व करने हेतु निदेशक, कुलसचिव एवं प्रो0 जे0पी0 सैनी, प्राचार्य, एम0एम0एम0ई0सी0, गोरखपुर की एक समिति गठित करते हुए समिति की आख्यानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।"

उक्त के कम में परिषद द्वारा यह निर्देश दिये कि उच्च स्तरीय अधिवक्ता को उनके शुल्क एवं गुण–दोष के आधार पर आबद्ध करने हेतु प्रशासकीय परिषद की 70वीं बैठक के मद संख्या 70.22 के अन्तर्गत गठित समिति की आख्यानुसार कार्यवाही की जाये।

70.23 **प्रशासकीय परिषद की 70वीं बैठक में मद संख्या 70.23 के अन्तर्गत प्रस्तुत विचार बिन्दु के अन्तर्गत संस्थान में स्थित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बेहतर सुविधा प्राप्त करने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया गया था।**

परिषद द्वारा उपरोक्त निर्णय के कियान्वयन में विलम्ब के संबंध में निदेशित किया गया कि समाचार पत्र के माध्यम से इच्छुक बैंकों के प्रस्ताव प्राप्त कर कार्यवाही की जाये।

70.24.01 **प्रशासकीय परिषद की 70वीं बैठक में मद संख्या 70.24.01 के अन्तगर्त प्रस्तुत विचार बिन्दु –संस्थान के पश्चिमी प्रांगण में स्थित डब्लू0सी0एच0–।।। छात्रावास के समीप स्थित संस्थान वाउन्ड्रीवाल के अन्दर विवादित भूमि आराजी संख्या 402 के सम्बन्ध में सविता हाउसिंग सोसायटी व एच0बी0टी0आई0 के मध्य में चल रहे विवाद के संबंध में कृत कार्यवाही पर परिषद द्वारा निम्नोक्त विचार व्यक्त किये गये:**

संस्थान भूमि आराजी संख्या 402 के सम्ब्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहे वाद पर निर्णय संस्थान के पक्ष में न होने के कारण मा0 उच्चतम न्यायालय, नई–दिल्ली में दायर की गयी एस0एल0पी0 के परिप्रेक्ष्य में संस्थान के पक्ष में मिले स्थगनादेश पर मा0 अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद द्वारा संस्थान के निदेशक एवं कुलसचिव के प्रयासों की सराहना की एवं निदेश दिये कि मा0 उच्चतम न्यायालय में उक्त वाद पर निर्णय संस्थान के पक्ष में करने हेतु प्रभावी पैरवी हेतु सर्वोत्म वकील की नियुक्ति यदि आवश्यक हो तो करें।

70.24.02 **प्रशासकीय परिषद की 70वीं बैठक में मद संख्या 70.24.02 में प्रस्तुत विचार बिन्दु के अन्तर्गत संस्थान के छात्र कियाकलाप परिषद में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्व0 श्री सभाजीत तिवारी की पत्नी के परिवार के भरण–पोषण हेतु कार्य पर रखने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया गया था।**

परिषद द्वारा कृत कार्यवाही पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि प्रकरण पर विस्तृत अनुपालन आख्या शासन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाय।

71.03 **संस्थान को स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष व्यय, शैक्षिक सत्र एवं परिणामों की घोषणा तथा उत्तीर्ण छात्रों के सेवायोजन की स्थिति का विवरण।**

परिषद द्वारा प्रस्तुत परीक्षाफल का अवलोकन किया गया और परीक्षाफल पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही यह अपेक्षा की गयी भविष्य में सम्पन्न होने वाली प्रशासकीय परिषद की बैठकों में परीक्षाफलों का विगत एवं वर्तमान वर्ष का तुल्नात्मक विवरण उत्तीर्ण एवं अनुतीर्ण प्रतिशत के आधार पर भी दर्शाया जाय एवं बी0टेक0 एवं एम0सी0ए0 का विवरण अलग–अलग प्रस्तुत किया जाय साथ ही यह भी अपेक्षा कि गयी कि वर्ष 2009–10 का परीक्षाफल इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न किया जाय।

71.04 **हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की वित्त समिति की दिनांक 16.04.10 को सम्पन्न 57वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।**

परिषद द्वारा वित्त समिति की दिनांक 16.04.2010 को सम्पन्न 57वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

71.05 **संस्थान की शैक्षिक परिषद की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।**

परिषद द्वारा संस्थान की शैक्षिक परिषद की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त पर सर्वसम्मति से अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

71.06 **संस्थान की केन्द्रीय क्रय समिति में संस्थान नियमावली के नियम–30(बी) के अन्तर्गत चक्रानुक्रम आधार पर एक आचार्य स्तर के शिक्षक को सदस्य नामित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार**

परिषद द्वारा संस्थान की केन्द्रीय कय समिति में प्रो0 जे0एस0पी0 राय, आचार्य, प्लास्टिक टेक0 विभाग को एक वर्ष की अवधि हेतु चकानुकम आधार पर सदस्य नामित किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

**71.07 संस्थान की प्रशासकीय परिषद एवं प्रशासनिक समिति में सोसाइटी रूल्स नियम–7(x) के अर्न्तगत सदस्य मनोनीत करने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद द्वारा प्रो0 एम0सी0 शुक्ला, आचार्य, ओ0पी0टी0 विभाग को संस्थान की प्रशासकीय परिषद एवं प्रशासनिक समिति में एक वर्ष की अवधि हेतु सदस्य नामित किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

**71.08 संस्थान में प्रभावी की गयी सी0यू0जी0 (क्लोज यूजर ग्रुप) मोबाइल व्यवस्था को लागू किये जाने पर कार्येत्तर स्वीकृति दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार :–**

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संस्थान में टेलीफोन मद में प्राप्त बजट के अन्तर्गत ही सी0यू0जी व्यवस्था के संचालन हेतु अपनी कार्येत्तर स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

**71.09 संस्थान में लागू किये गये परीक्षण एवं परामर्श नियमावली के नियम 2.2 के प्राविधानुसार परिषद की ओर से सदस्य नामित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार :–**

परिषद द्वारा संस्थान की परीक्षण एवं परामर्श नियमावली के प्राविधानानुसार परिषद की ओर से प्रो0 जे0एस0पी0 राय, आचार्य, ओ0पी0टी0 विभाग को परीक्षण एवं परामर्श नियमावली में सदस्य नामित किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

**71.10 संस्थान में नियमित रूप से बढ़ रहे वादों के परिप्रेक्ष्य में आ रही विधिक कठिनाइयों के दृष्टिगत निर्धारित मानदेय पर एक अधिवक्ता को आबद्ध करने के सम्बन्ध में।**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा अनुमोदन हेतु असहमति प्रकट की गयी और निर्देश दिये कि प्रशासकीय परिषद की 70वीं बैठक में मद संख्या 70.22 के अन्तर्गत गठित विधिक समिति की बैठक कर लिये गये निर्णयों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या प्रशासकीय परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

**71.11 संस्थान अतिथि गृह के कमरों का किराया बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद द्वारा संस्थान के स्टाफ/छात्रों एवं उनके अभिभावकों तथा सेवानिवृत्त स्टाफ से पूर्व निर्धारित दरों पर ही किराया लिये जाने तथा शेष हेतु प्रस्तुत प्रस्तावानुसार किराया लिये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

**71.12 संस्थान में टेकिप द्वितीय चरण के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोपोजल (आई0डी0पी0) पर अनुमोदन दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद द्वारा विश्वबैंक परियोजना अन्तर्गत टेक्युप द्वितीय चरण हेतु परिषद के सम्मुख प्रस्तुत आई0डी0पी0 पर सर्वसम्मति से अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

**71.13 संस्थान में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष का दायित्व एसोसिएट प्रोफेसर तक हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव पर विचार**

परिषद द्वारा संस्थान में पूर्व से प्रभावी व्यवस्था को ही बनाये रखने के साथ ही साथ यह भी निर्देश दिये कि जिन विभागों में एशोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहें हैं उन विभागों में जब किसी प्रोफेसर द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो आचार्य को सर्वप्रथम विभागाध्यक्ष का दायित्व सौंपा जाय।

**71.14 संस्थान में अधिष्ठाताओं का चयन आई0आई0टी0 की भॉति किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।**

परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त अधिष्ठताओं के चयन के सम्बन्ध में प्रकिया निर्धारण हेतु निम्नोक्त समिति का गठन किया गया।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो0 कृपाशंकर<br>मा0 कुलपति<br>गौतम बुद्ध प्राविधिक वि0वि0 | संयोजक |
| 2. | प्रो0 एन0एस0 गजभिये<br>मा0 कुलपति,<br>डा0 हरिशंकर गोड़ वि0वि0<br>मध्यप्रदेश | सदस्य |
| 3. | प्रो0 जे0पी0 सैनी<br>प्राचार्य,<br>मदन मोहन मालवीय इंजी0 कालेज<br>गोरखपुर | सदस्य |
| 4. | निदेशक,<br>एच0बी0टी0आई0, कानपुर | सदस्य सचिव |

समिति संस्थान में अधिष्ठाताओं के चयन के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं पर विचार कर अपनी आख्या देगी जिसे परिषद की अगली बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

**71.15 संस्थान के निदेशक प्रो0 आर0के0 खितौलिया को संस्थान की सेवा पूर्ण करने के पश्चात सामान आदि ले जाने हेतु सिफ्टिंग भत्ता अनुमन्य किये जाने के प्रकरण पर विचार।**

परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

**71.16 शैक्षिक सत्र 2010–11 में नव प्रवेशित छात्रों से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित शिक्षण शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।**

परिषद द्वारा शासन स्तर से जारी शासनादेशानुसार शिक्षण शुल्क दरों में वृद्धि को अवलोकित कर उन पर अपना अनुमोदन प्रदान किये।

71.17 **संस्थान में सत्र 2009–10 में प्रवेश हेतु राज्य प्रवेश परीक्षा–2009 की काउन्सलिंग के माध्यम से चयनित छात्रों के इनरोलमेन्ट फार्म व राज्य प्रवेश परीक्षा–2009 में उपलब्ध फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर में भिन्नता के प्रकरण पर संस्थान के सन्दर्भ के कम में विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही जॉच कार्यवाही की अद्यावधित प्रगति की समीक्षा एवं विचार।**

परिषद द्वारा जॉच कार्यवाही में तेजी लाने के साथ ही यह भी निर्देश दिये कि शासन को विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की जाये।

71.18 **शैक्षिक सत्र 2010–11 में संस्थान के स्ववित्तपोषित पाठ्यकमों में नव प्रवेशित छात्रों से कुलपति जी0बी0टी0यू0 की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के सम्बन्ध में**

परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त [illegible] कुलपति, जी0बी0टी0यू0 की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतिनुसार अनुमोदन प्रदान किया।

71.19 **संस्थान की जिप्सी कार सं0 यू0पी0 78–एच 4114 के निस्तारण एवं नयी कार क्रय किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद द्वारा संस्थान की जिप्सी कार संख्या यू0पी0 78–एच0 4114 के निस्तारण के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि तत्काल उक्त जिप्सी की नीलामी करते हुए संस्थान आय से नयी कार कय किये जाने के प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

71.20 **संस्थान में छात्र–क्रियाकलाप परिषद की विभिन्न उप परिषदों में छात्र–क्रियाकलाप गतिविधियों को वर्तमान में बढ़ी हुयी मॅहगाई के दृष्टिगत सुचारू रूप से संचालित करने हेतु छात्र–क्रियाकलाप मद में पूर्व में स्वीकृत शुल्क में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार ।**

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्तावानुसार छात्र कियाकलाप परिषद मद में पूर्व में स्वीकृत शुल्क रू0 500.00 से बढ़ाकर रू0 750.00 किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

71.21 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार।**

71.21.01 **संस्थान के निदेशक, प्रो0 आर0के0खितौलिया को भ्रमण हेतु विदेश जाने की स्वीकृति दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद द्वारा संस्थान के निदेशक, प्रो0 आर0 के0 खितौलिया को निजी कार्य से विदेश यात्रा की अनुमति के प्रकरण पर इस शर्त के साथ शासन को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये कि विदेश यात्रा की निश्चित तिथि इंगित करते हुए शासन को संदर्भित किया जाय।

71.21.02 **हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की वित्त समिति दिनांक 05.10.10 को सम्पन्न 58वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।**

परिषद द्वारा दिनांक 05.10.2010 को सम्पन्न 58वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

71.21.03 **संस्थान में नियत मासिक पारिश्रमिक वेतन पर कार्यरत चिकित्साधिकारी डा0 वी0के0 कपूर का मासिक पारिश्रमिक वेतन बढाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को संस्थान की वित्त समिति के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने के निदेश दिये गये।

71.21.04 **संस्थान में द्वितीय पाली मं पालीटेक्निक पाठ्यक्रम की कक्षाएं शुरू किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

उपाध्यक्ष प्रशासकीय परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि अभातशिप द्वारा सायंकालीन कक्षाओं में पालीटेक्निक के पाठ्यक्रम चलाने का निर्णय लिया जा चुका है। तत्कम में संस्थान स्तर में भी पालीटेक्निक के पाठ्यकम सायंकालीन कक्षाओं के रूप में, संस्थान में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं के दृष्टिगत चलाये जाने पर विचार कर प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।

71.21.05 प्रशासकीय परिषद द्वारा प्रशासकीय परिषद के सदस्यों की सूची में TEQIP फेज II के दृष्टिगत वर्तमान में एक विभगाध्यक्ष के स्थान पर संस्था के दो विभागध्यक्षों, जो आचार्य स्तर से कम नही होंगे को एक वर्ष की अवधि के लिये चकानुकम आधार पर वरिष्ठता कम में नामित किये जाने का सैद्वान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया तथा Socity की बैठक में तदनुसार संशोधन कियेजाने का निर्णय लिया गया।

| ह0 | ह0 | ह0 |
|---|---|---|
| (आर0के0 खितौलिया) | (वृन्दा सरूप) | (सदल प्रसाद) |
| सदस्य–सचिव | उपाध्यक्ष | अध्यक्ष |